

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 141/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- 2022/167

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|------|--|
| आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 201-2012, द्वितीय तल, साउथ एंड स्वचायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020 राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री छोटू सिंह राठौड | | 1. बक्षाराम पुत्र मोहनलाल पता-604 बास गुर्जर खेडा ताउसर ताउसर बी.ओ. जिला नागौर 341001 राजस्थान द्वितीय पता- बक्षाराम आवासीय सम्पति अवस्थित पट्टा नम्बर 10, बुक संख्या 46, ग्राम पंचायत गुर्जर खेडा ताउसर तहसील एवं जिला नागौर राजस्थान 2. श्रीमति आचुडी पत्नि बक्षाराम पता-604 बास गुर्जर खेडा ताउसर ताउसर बी.ओ. जिला नागौर 341001 राजस्थान |

आदेश

दिनांक: 16-5-2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रुपये 3,30,000/- (अक्षरे तीन लाख तीस हजार रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 08.04.2019 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति - श्री बक्षाराम आवासीय सम्पति अवस्थित पट्टा नम्बर 10 बुक संख्या 46 ग्राम पंचायत गुर्जर खेडा ताउसर तहसील व जिला नागौर राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 510 वर्ग फुट तथा पडौस निम्न है- उत्तर में- बुलाराम का मकान, दक्षिण में- जीतूराम का मकान, पूर्व में- नैमाराम का मकान, पश्चिम में- स्वयं की जमीन एवं निकाल जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 06.11.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 3,59,787/- (अक्षरे तीन लाख उनसठ हजार सात सौ सितियासी रुपये मात्र) दिनांक 27.12.2021 तक शेष देय बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 30.12.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये एवं उक्त नोटिस का अखबारकाशन भी करवाया गया परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बकाया सम्पति सम्पूर्ण



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रूपये 3,59,787/- (अक्षरे तीन लाख उनसठ हजार सात सौ सितियासी रूपये मात्र) दिनांक 27.12.2021 तक शेष देय को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- श्री बक्साराम आवासीय सम्पत्ति अवस्थित पट्टा नम्बर 10 बुक संख्या 46 ग्राम पंचायत गुर्जर खेडा ताउसर तहसील व जिला नागौर राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 510 वर्ग फुट तथा पडौस निम्न है- उत्तर में- बुलाराम का मकान, दक्षिण में- जीतूराम का मकान, पूर्व में- नैमाराम का मकान, पश्चिम में- स्वयं की जमीन एवं निकाल जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 3,30,000/- (अक्षरे तीन लाख तीस हजार रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 08.04.2019 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर